राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक १०९/दौसा/२००१-२००२

यह प्रमाणित किया जाता है कि संकल्प (विकास संस्थान) दौसा जिला दौसा का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक चार माह नवम्बर सन् ~~एक हजार नौ सौ~~ को २००१ में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएं

दौसा

श्री

राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम 1958 के अन्तर्गत
रजिस्ट्रेशन हेतु

आवेदन प्रपत्र

सब एक के लिए
एक सब के लिए

:: मुद्रक एवं विक्रेता ::
राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड
जी-1/138, मालवीय इण्ड. ऐरिया, जयपुर। फोन : 751352, 751417

प्राप्ति स्थल :
राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय लि.
पोलोविक्ट्री के पास, जयपुर-1 फोन : 374 969

शपथ-पत्र का प्रपत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था .... के सशपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि :-

1. हमारी प्रस्तावित संस्था ....
के पंजीयन हेतु कुल..आवेदक सदस्य हैं।

2. हमारी प्रस्तावित संस्था के नाम पते पर पूर्व में इस क्षेत्र में कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। आवेदक सदस्य अन्य किसी समान उद्देश्य वाली संस्था/समिति के सदस्य/पदाधिकारी नहीं हैं।

3. प्रस्तावित संस्था की विधान नियमावली की बिन्दु सं. 2 व 3 के अन्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गठित की गई है।

4. धारा 3 में वर्णित उद्देश्य संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अन्तर्गत आते हैं, के अनुरूप संस्था की कार्यकारिणी एवं पंजीकृत उद्देश्यों की पूर्ति में किसी प्रकार का लाभ निहित नहीं होगा।

5. प्रस्तावित संस्था द्वारा कोई व्यावसायिक गतिविधियां, व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने हेतु गठित नहीं की गई और न ही किसी प्रकार का लाभ सदस्यों में वितरण होगा।

6. प्रस्तावित संस्था किसी भी परिस्थिति में व्यावसायिक रूप से कार्य नहीं करेगी तथा न ही इसमें किसी प्रस्तावक सदस्य निजी व्यक्तिगत लाभ निहित होगा।

7. यदि भविष्य में किसी भी समय इस तथ्य की अवहेलना होना पाया जावेगा तो रजिस्ट्रार संस्थायें .... को पंजीकृत संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

8. भविष्य में उक्त बिन्दु सं. 1 से 7 में अंकित तथ्यों के विपरीत कार्य करने की जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, ... को इस संस्था का पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष	मन्त्री	कोषाध्यक्ष

सत्यापन

हम उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते हैं कि बिन्दु सं. 1 से 8 के तथ्य हमारी जानकारी से सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें .... को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा। ईश्वर साक्षी है।

अध्यक्ष	मन्त्री	कोषाध्यक्ष

नोट :- यह शपथ पत्र रुपये 5/- के स्टाम्प पर होगा तथा नोटरी पब्लिक /राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराना होगा।

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

विधान (नियमावली)
तथा
संघ-विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखें :-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये/बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 6 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावें। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।

धारा - 20

9. सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा :- इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात :-

   पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक, अनाथ निधियां, [1](खादी और ग्रामोद्योग), साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के लिये स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।

10. राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र राज. राज्य सहकारी मुद्रणालय से प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावें।
11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष के राशन कार्ड की फोटो कॉपी/स्थाई निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संलग्न निर्धारित प्रारूपानुसार रुपये 5/- के स्टाम्प पर उक्त तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।

---

1. राज. राज-पत्र विशेषांक 4 (क) दिनांक 17.5.95 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया।

विधान/संशोधन से संबंधित निम्न सूचनाऐं प्रस्तुत करें

1. संस्था की कार्यकारिणी द्वारा संस्था के विधान में संशोधन/परिवर्तन अथवा परिवर्धन के विचारार्थ बुलाई गई विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की एक प्रति।

2. उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों का विवरण निम्नलिखित प्रारुप में प्रस्तुत करें :-

क्र.सं.	संस्था की कुल सदस्य संख्या	बैठक में उपस्थित सदस्यों की सं.	विधान के अनुसार बैठक का कोरम	कितने सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में मत दिया	कितने सदस्यों ने संशोधन के विपक्ष में मत दिया।

3. संस्था की उक्त बैठक की कार्यवाही व इस बैठक में संशोधन हेतु पारित प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि।

4. संस्था की उक्त विषयक साधारण सभा के एक माह बाद संस्था की बुलाई गई द्वितीय विशेष साधारण सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को भेजे गये नोटिस की प्रति।

5. बैठक की कार्यवाही की सत्य प्रति।

6. कुल सदस्य संख्या/उपस्थित सदस्यों की संख्या/विधानानुसार उपस्थित सदस्यों में से 2/3 सदस्यों के द्वारा संस्था की प्रथम विशेष साधारण सभा के द्वारा स्वीकृत संशोधन के लिए सम्पुष्टि की प्रमाणित प्रति।

7. संस्था के तीन पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र

   हम निम्नहस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि संस्था के विधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन व संशोधन संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 4 व 12 के अनुसार ही किया गया है।

8. तुलनात्मक स्टेटमेन्ट निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)

9. संस्था के संशोधित विधान की तीन पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित तथा प्रत्येक पृष्ठ पर तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रति, जिसमें समस्त संशोधन यथा स्थान अंकित किये गये हों।

10. नाम परिवर्तन से संबंधित 7 सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षरों से एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें, साथ ही मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 7, एवं शपथ पत्र नोटरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।

14. ग्राम, मोहल्ला, कॉलोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये।

15. ग्रामीण क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय नगर पालिका, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र हो तो उपयुक्त रहेगा।

16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावे।

17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।

18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले हों तो उपयुक्त रहेगा।

19. अन्य संस्थायें जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना उपयुक्त रहेगा।

20. एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रबंधकारिणी में शामिल किया जाना चाहिये। ''परिवार'' से तात्पर्य ऐसे किसी परिवार से है जिसमें पति और पत्नी, उनके बच्चे और उक्त बच्चों के बच्चे जो उस पर आश्रित हों तथा पति की विधवा माँ जो पूर्ण रूपेण आश्रित हो।

21. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन के 7 दिवस के बाद कभी भी कार्यालय दिवस को संस्था शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर पंजीयन कार्यवाही की चालू प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

22. अधिसूचना क्रमांक प. 4 (5) कृषि-4/राह./91 दिनांक 29.1.1998 द्वारा राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क 250/- रुपये के स्थान पर 2500/- रुपये निर्धारित करती है।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

..................संकल्प (..................(विकास संस्थान) ....समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम ....संकल्प (..........विकास संस्थान) ....समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय : तथा कार्यक्षेत्र — इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय ....6/154, [illegible] कॉलोनी, दौसा ....दौसा.................. है

तथा इसका कार्यक्षेत्र ....दौसा जिला.................. क्षेत्र तक सीमित होगा

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

1. (1) समाज का शैक्षिक, उन्नयन एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रयास करना।
2. (2) शिक्षा एवं विद्या के प्रचार-प्रसार के लिए प्राथमिक से लेकर महाविद्यालय प्रशिक्षण केन्द्र व छात्रावास की स्थापना करना एवं संचालन करना।
3. (3) [illegible] की [illegible] आवश्यकताओं के निवारण एवं विकास हेतु
4. रोजगार, [illegible] पेयजल, ग्रामीण उद्योग, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, [illegible] आदि के निवारण हेतु जनजागृति प्रवृत्तियां करना।
5. (4) महिला शिक्षा एवं महिला अधिकारों के प्रति सामाजिक चेतना जाग्रत करना।
6. (5) युवाओं एवं महिलाओं के विकास के लिए संगीत, सिलाई, कढ़ाई, गृह प्रबन्ध की शिक्षा, और [illegible] शिक्षा एवं अन्य [illegible] संस्थाओं की स्थापना [illegible] करना।
7. (6) ग्रामीण बेरोजगार [illegible] को उद्योग के कार्यक्रम अन्तर्गत [illegible]
8. पिछड़े तबकों के बेरोजगारों, [illegible] एवं [illegible] के लिए सहायता [illegible] करना।
9. (7) [illegible] कार्यों में [illegible] व पारम्परिक पद्धतियों का प्रयोग करना
10. एवं अकाल, अतिवृष्टि, प्राकृतिक विपदाओं, आग, बाढ़, [illegible] व अन्य संकटों में आवश्यकतानुसार सहयोग करना।
11. (8) परिवार कल्याण कार्यों में सहयोग, महिलाओं, [illegible] के लिए प्रशिक्षण देना व स्वास्थ्य व साक्षरता कार्यक्रम चलाना, देना
12. (9) समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसके कोष निर्माण व विभिन्न
13. स्रोतों से यथा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, एन.जी.ओ. संस्थाओं से अनुदान व विदेशी सहायता प्राप्त करना।
14. (10) अनु.जाति, अनु.जनजाति व पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए [illegible] करना व विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण देना
15. (11) साहित्य, विज्ञान, ललित कलाओं व ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण व संवर्धन करना (12) पर्यावरण संरक्षण, [illegible] सुधार [illegible] एवं [illegible] करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

[signature] अध्यक्ष

[signature] मन्त्री

[signature] कोषाध्यक्ष

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	श्री गोपाल लाल शर्मा S/o श्री रामप्रताप शर्मा	वकालात	विवेकानंद कॉलोनी दौसा	अध्यक्ष
2.	श्री इन्द्रजीत शर्मा S/o श्री भगवती प्रसाद शर्मा	अध्यापन	विवेकानंद कॉलोनी दौसा	मंत्री
3.	श्रीमति मंजू शर्मा W/o श्री महागोविन्द शर्मा	गृहणी	मोदी का तिबारा दौसा	उपाध्यक्ष
4.	श्रीमति इन्दु शर्मा W/o श्री अजय शर्मा	गृहणी	सोमनाथ नगर दौसा	कोषाध्यक्ष
5.	श्रीमति गीता शर्मा W/o श्री भगवती प्रसाद शर्मा	गृहणी	विवेकानंद कॉलोनी दौसा	सदस्य
6.	श्रीमति बसन्ती शर्मा W/o श्री मदनलाल शर्मा	गृहणी	अशोक नगर सेक्टर I, दौसा	सदस्य
7.	श्री जितेन्द्र शर्मा S/o श्री छोटीलाल शर्मा		सोमनाथ नगर, दौसा	सदस्य
8.	श्री नन्दकिशोर शर्मा S/o श्री रामूलाल शर्मा		मारुति कॉलोनी, दौसा	सदस्य
9.	श्री दिनेश चौधरी S/o श्री रामकिशोर चौधरी		नई मंडी रोड, दौसा	सदस्य
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

(मोहर: ... संस्थान दौसा — व्यापार)

अध्यक्ष   मन्त्री   कोषाध्यक्ष

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	श्री गोपाल लाल शर्मा S/o श्री रामप्रसाद शर्मा	वकालत	विवेकानंद कॉलोनी, दौसा	[signature]
2.	श्री इन्द्रजीत शर्मा S/o श्री भगवती प्रसाद शर्मा	शिक्षण	विवेकानंद कॉलोनी, दौसा	[signature]
3.	श्रीमति इन्दु शर्मा W/o श्री अजय शर्मा	गृहणि	सोमनाथ नगर, दौसा	इन्दु
4.	श्रीमति मंजू शर्मा W/o श्री राधागोविन्द शर्मा	गृहणि	मोदी का तिबारा, दौसा	मंजू शर्मा
5.	श्रीमति गीता शर्मा W/o श्री भगवती प्रसाद शर्मा	गृहणि	विवेकानंद कॉलोनी, दौसा	गीता
6.	श्रीमति बसंती देवी शर्मा W/o श्री मदन लाल शर्मा	गृहणि	अशोक नगर, दौसा	बसंती
7.	श्री नन्द किशोर शर्मा S/o श्री रामूलाल शर्मा	शिक्षण	भारती कॉलोनी, दौसा	[signature]
8.	श्री जितेन्द्र शर्मा S/o श्री घासीलाल शर्मा	[illegible]	गोपाल नगर, दौसा	जितेन्द्र
9.	श्री दिनेश चौधरी S/o श्री राजकिशोर चौधरी	व्यापार	नई मण्डी, रोड, दौसा	दिनेश चौधरी
10.	श्री [illegible] S/o श्री [illegible]	व्यापार	पंचायत समिति रोड, दौसा	[signature]
11.	श्रीमती आशा शर्मा W/o श्री [illegible]	गृहिणी	पंचायत समिति रोड, दौसा	आशा शर्मा
12.	श्री [illegible] कुमार शर्मा S/o श्री [illegible] शर्मा	अध्यापक	नई मण्डी रोड, दौसा	[signature]
13.	श्री रामगोपाल शर्मा S/o श्री सीताराम शर्मा	अध्यापक	मोदी का तिबारा, दौसा	[signature]
14.	श्री महेशचन्द शर्मा S/o श्री हरसहाय शर्मा	अध्यापक	राणा कॉलोनी, दौसा	[signature]
15.	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा S/o स्व. श्री राधेश्याम शर्मा	[illegible]	बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे [illegible] दौसा	[signature]
16.				
17.				
18.				

[signature] अध्यक्ष [signature] मन्त्री [signature] कोषाध्यक्ष

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			

(1) संस्था का पंजीयन क्रमांक 09/कोटा/2001-2002
(2) ...
(3) जिला ... रजिस्ट्रार संस्थाएं सहकारिता
(4) ... कोटा
(5) दिनांक ...
(6) ... रजिस्ट्रार

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

1. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

2. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

................संकल्प ([illegible])................समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम ....संकल्प ([illegible])........ ....समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय : तथा कार्यक्षेत्र — इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय [illegible] ....[illegible] .... है तथा इसका कार्यक्षेत्र ....[illegible]........ क्षेत्र तक सीमित होगा।

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

(1) समाज के शैक्षिक उन्नयन एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रवृत्तियां

(2) शिक्षा एवं विद्या के प्रचार-प्रसार के लिए प्राथमिक से लेकर महाविद्यालय प्रशिक्षण केन्द्र व छात्रावास की स्थापना करना एवं संचालन करना।

(3) व्यक्तियों की आधारभूत आवश्यकताओं के निवारण एवं विकास हेतु रोजगार, कृषि, पशुपक्षी पालन, ग्रामीण उद्योग, [illegible] शिक्षा, स्वास्थ्य

(4) मनोरंजन, [illegible] आदि के निवारण हेतु रचनात्मक प्रयास करना। महिला शिक्षा व महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता [illegible]

(5) बालकों व महिलाओं के विकास के लिए संगीत, सिलाई, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, [illegible] शिक्षा एवं अन्य आवासीय संस्थाओं की

6. स्थापना [illegible] करना।

(6) ग्रामीण विकास [illegible] गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम अन्तर्गत गरीब व

7. पिछड़े वर्गों के [illegible] विकलांगों, वृद्धों, विधवाओं के लिए सहायता व [illegible]

(8) विकास कार्यों में [illegible] व पारंपरिक पद्धतियों का प्रयोग करना एवं [illegible] प्राकृतिक [illegible], प्राकृतिक पर्यावरण व [illegible] संरक्षण

9. में [illegible] करना।

10. (9) [illegible] के उद्देश्य की पूर्ति के लिए [illegible] विभिन्न स्रोतों से यथा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, एन.जी.ओ. संस्थानों से अनुदान व विदेशी [illegible] प्राप्त करना।

11. (10) अनु.जाति, अनु.जन जाति व पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कल्याणकारी

12. कार्य करना एवं विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण देना।

(11) परिवार कल्याण कार्यों में सहयोग, महिलाओं, बेरोजगारों, श्रमिकों

13. के लिए प्रशिक्षण देना व स्वास्थ्य व साक्षरता कार्यक्रम में सहयोग करना

(11) साहित्य, [illegible] कलाओं व ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं

14. का संरक्षण व [illegible] करना

(12) पर्यावरण [illegible], पर्यावरण सुधार व पर्यावरण के प्रति

15. संवेदना जागृत करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

[illegible] — अध्यक्ष

[illegible] — मन्त्री

[illegible] — कोषाध्यक्ष

4\. सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे।

1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।
2. बालिग हों।
3. पागल, दिवालिये न हों।
4. संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5\. सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :-

1-संरक्षक 2-विशिष्ठ
3-सम्माननीय 4-साधारण
(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6\. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा : उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :-

1-संरक्षक	राशि.............................	वार्षिक/आजन्म
2-विशिष्ठ	राशि.............................	वार्षिक/आजन्म
3-सम्माननीय	राशि.............................	वार्षिक
4-साधारण	राशि......351/-..........	वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु........351/- ....
की मासिक दर से जमा कराई जा सकेगी।

7\. सदस्यता से निष्कासन : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :-

1-मृत्यु होने पर
2-त्याग पत्र देने पर
3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर

8\. साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

9\. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे।

1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
2- वार्षिक बजट पारित करना।
3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना।
(जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

10\. साधारण सभा की बैठकें :

1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।

5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्व मान्य होंगे।

11\. कार्यकारिणी का गठन : संस्था के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जावेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होंगे :-

1\. अध्यक्ष–एक   2. उपाध्यक्ष–एक

3\. मंत्री–एक   4. कोषाध्यक्ष–एक

5\. सदस्य–सात पांच

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में .... पदाधिकारी व ....5.... सदस्य कुल ....9.... सदस्य होंगे।

12\. कार्यकारिणी का निर्वाचन :

1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2- चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13\. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य : संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :-

1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2- वार्षिक बजट तैयार करना।

3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, उन्हें सेवा मुक्त करना।

5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

अध्यक्ष   मन्त्री   कोषाध्यक्ष

कार्यकारिणी की की बैठके :

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वहीं होगे, जो पूर्व में एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभी की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य : संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होगें :–

1— अध्यक्ष

1—बैठकों को आहूत करना।

2—मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3—बैठकें आहूत करना।

4—संस्था का प्रतिनिधत्व करना।

5—संविदा तथा अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना।

2— उपाध्यक्ष :

1—अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारें का प्रयोग करना।

2—प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3— मन्त्री :

1—बैठकें आहूत करना।

2—कार्यवाही लिखना तथा रिकॉर्ड रखना।

3—आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।

4—वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन या यात्रा बिल आदि पास करना।

5—संस्था की प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6—पत्र व्यवहार करना।

7—सम्पति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4— उपमंत्री

1—मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2—अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

कोषाध्यक्ष :

1–वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना।

2–दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3–चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4–अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

1– चन्दा

2– शुल्क

3– अनुदान

4– सहायता

5– राजकीय अनुदान

1– उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।

2– अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन–देन संभव होगा।

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार : संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारियों संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे।

1– अध्यक्ष ......1500/-...... रु.

2– मन्त्री ......1000/-...... रु.

3– कोषाध्यक्ष ......[illegible]...... रु.

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

18. संस्था का अंकेक्षण : संस्था के समस्त लेखों जोखो का वार्षिक अंकेक्षण करया जायेगा।

19. संस्था का विधान में परिवर्तन : संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. संस्था का विघटन : यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति सम उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

21. संस्था के लेखे जोखा का निरीक्षण : रजिस्ट्रार संस्थाएं ......[illegible]...... को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) ......[illegible]...... समिति/सोसायटी/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

प्रमाणित किया जाता है कि यह सत्यप्रतिलिपि है।

2/11/2002

रजिस्ट्रार संस्थाएं दौसा

निर्वाचित प्रबंधकारिणी के अनुमोदन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का नमूना

शपथ-पत्र

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत पदाधिकारी प्रस्तावित संस्था .... के सशपथ पूर्वक घोषणा करते हैं कि :—

1. हमारी संस्था का पंजीयन ....दिनांक .... है।
2. संस्था में वर्तमान में कुल सदस्य .... है।
3. संस्था की आमसभा दिनांक .... को सम्पन्न हुई जिसमें पंजीयन विधान के अनुसार कार्यकारिणी का निर्वाचन दिनांक .... को हुआ। निर्वाचन कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए चुनी गई है, जिसकी सूचना प्रमाणीकरण हेतु शपथ—पत्र के साथ संलग्न है।
4. संस्था की उपर्युक्त कार्यकारिणी के निर्वाचन एवं संस्थान के सम्बन्ध में आम सभा सदस्य कार्यकारिणी के तथ्य किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
5. प्रबन्धकारिणी विधान की प्रमाणित प्रतिलिपि आगामी कार्यक्रमों आदि में प्रस्तुत करने हेतु चाहिए।
6. संस्था की कार्यकारिणी के निर्वाचन हेतु आमंत्रित आम सभा दिनांक .... की सूचना का नोटिस दिनांक .... को समस्त सदस्यों को सूचनार्थ जारी कर दिया गया था।
7. भविष्य में उक्त बिन्दु संख्या 1 से 6 तक तथ्यों के विपरीत किसी प्रकार का विवाद प्रकाश में आने पद दी गई प्रमाणित प्रतियों को निरस्त करने का रजिस्ट्रार संस्थायें, जयपुर को पूर्ण अधिकार होगा।
8. संस्था के विधान में कोई संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन नहीं किया है।

अध्यक्ष | मंत्री | कोषाध्यक्ष

सत्यापन

हम उपर्युक्त शपथ ग्रहिता सत्यापित करते है कि बिन्दु सं. 1 से 8 के तथ्य हमारी जानकारी से सही हैं, कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उपर्युक्त तथ्यों के विपरीत कोई जानकारी प्रकाश में आने पर रजिस्ट्रार संस्थायें, जयपुर को पंजीयन रद्द करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष | मंत्री | कोषाध्यक्ष

40 वर्षों से
मुद्रण के क्षेत्र में
नये आयाम
स्थापित करती
राजस्थान
की
शीर्ष
सहकारी
संस्था

राज्य सरकार के विभागों एवं सभी सहकारी संस्थाओं के मुद्रण के लिए अधिकृत

राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड

जी–1/138, मालवीय इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जयपुर–302017 फोन : 751352, 751417